राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।

क्रमांकः—एफ—4/मु./याता/लेखा (ACB)/2023/ 2173 दिनांकः— 10-2-23

कार्यालय—आदेश

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक एफ26 (क) (8)गृह—2/2014 जयपुर दिनांक 02.02.2023 के स्वीकृति आदेश संख्या 160/2022—23 द्वारा प्राप्त सहमति के आईडी संख्या 182300075 दिनांक 31.01.2023 के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कार्यरत पुलिस कॉन्स्टेबल से पुलिस निरीक्षक स्तर के कार्मिकों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण/द्रुतगामी बसों में (राजस्थान राज्य सीमा तक) यात्रा सुविधा निम्नानुसार प्रदान की जाती है।

1. राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कार्यरत कॉन्स्टेबल से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के कार्मिकों की संख्या के अनुसार निगम को देय राशि रूपये 200 (प्रत्येक कार्मिको से प्रतिमाह की कटौती) का भुगतान मासिक आधार पर तथा राज्य सरकार के अंशदान राशि 300 प्रतिमाह का भुगतान त्रैमासिक आधार पर निगम को कराया जावेगा।
2. यात्रा (निजी/राजकीय) सुविधा, निगम की साधारण/द्रुतगामी बसों में मान्य/देय है। यह यात्रा सुविधा राजस्थान राज्य क्षेत्र में ही देय होगी तथा राज्य क्षेत्र में यात्रा के दौरान अन्तर्राज्यीय क्षेत्र आने पर अन्तर्राज्यीय क्षेत्र की यात्रा को इस सुविधा में सम्मिलित माना जावेगा।
3. राजकीय कार्य हेतु अन्तर्राज्यीय क्षेत्र की यात्रा सुविधा पुलिस वारन्ट/वास्तविक यात्रा के पुनर्भरण के आधार पर प्रदान की जावेगी। जिसमें राजस्थान सीमा तक का किराया पास से ही ले लिया जावेगा एवं अन्तर्राज्यीय क्षेत्र का किराया पुलिस वारन्ट/वास्तविक यात्रा के पुनर्भरण के आधार पर देय होगा।
4. निगम द्वारा राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कर्मियों को RFID कार्ड जारी किये जाने हेतु प्रकिया की पालना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विभाग द्वारा की जावेगी। RFID कार्ड जारी किये जाने हेतु प्रति कार्मिक रू 40 का अतिरिक्त भुगतान भी अग्रिम किया जावेगा।
5. RFID कार्ड 5 वर्ष या सेवानिवृति दिनांक या प्रतिनियुक्ति पूर्ण होने के दिनांक तक (जो भी पहले हो) हेतु जारी किया जावेगा। जिसका 5 वर्ष पश्चात निगम के RFID सेन्टर, मुख्यालय से नवीनीकरण कर दिया जावेगा।
6. सेवानिवृति पर RFID कार्ड विभाग द्वारा जमा किया जाकर संबंधित आगार में जमा कराया जावेगा।
7. कानून व्यवस्था, चुनाव, त्यौहार, इत्यादि में बसों की मांग किये जाने पर समय—समय पर आकस्मिक अनुबंध की दरानुसार पृथक से किराया वसूली योग्य है।
8. यह यात्रा सुविधा केवल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में कार्यरत कान्सटेबल से निरीक्षक स्तर तक के कार्मिकों को ही देय होगी तथा नियमानुसार 20 किलोग्राम तक लगेज की सुविधा निःशुल्क देय होगी। इससे अधिक होने पर नियमानुसार लगेज किराया पृथक से वसूली योग्य है।
9. इसके साथ ही RFID कार्ड जारी करने एवं प्रतिमाह कर्मचारी अंशदान एवं राज्यांश भुगतान की सूचना Employee ID अनुसार विभाग के स्तर से IFMS के माध्यम से निगम को प्रदान की जायेगी।

(नथमल डिडेल)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः–एफ–4 / मु. / याता / लेखा (ACB) / 2023 / 2173 दिनांकः– 10-2-23

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव गृह (पुलिस) राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, गृह राजस्थान सरकार जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष ( ) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
8. समस्त महा प्रबन्धक / संयुक्त महा प्रबन्धक( ) राजस्थान परिवहन निगम, मु0जयपुर।
9. निगम सचिव / उप महा प्रबन्धक (सांख्यिकी / बजट / टिकिट / अंकेक्षण) राज0 परि0 नि0 मु0 जयपुर।
10. उप महा प्रबन्धक(आई.टी.) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाईट पर उपलब्ध कराना एवं तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
11. मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,................................ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(राम गौपाल पारीक)
वित्तीय सलाहकार